

अध्याय-IV
लेखाओं की गुणवत्ता एवं
वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी सहित एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रभावी व परिचालनात्मक रिपोर्ट हो, तो वह सरकार को रणनीतिक आयोजना एवं निर्णय लेने सहित उसकी बुनियादी प्रबंधन जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 सव्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संदर्भ में देयताओं का निर्वहन न करना

सव्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों पर ब्याज उपलब्ध करा कर उसका भुगतान करना सरकार की देयता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2023 तक सव्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों में रखी ₹ 114.98 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 22.26 करोड़ का भुगतान अपेक्षित था, जैसाकि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है। हालांकि इसका भुगतान नहीं किया गया। ब्याज देयताओं का भुगतान न करना इस अधिकतम सीमा तक राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

तालिका 4.1: सव्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संदर्भ में देयताओं का निर्वहन न करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सव्याज निक्षेप का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2023 तक अथ शेष राशि	ब्याज गणना का आधार	चुकाई न गई ब्याज राशि
1.	सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना	17.39	सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई	1.19
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	55.55	8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई {2023-24 के दौरान	11.36
3.	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	42.04	अर्थोपाय अग्रिम की औसत दर (6.50) और 2 प्रतिशत जोड़ कर}	9.71
योग		114.98		22.26

स्रोत: वित्त लेखे

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को बड़ी निधियां सीधे अंतरित करती रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने का निर्णय लिया। हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि एवं राज्य बजट को अनदेखा करते हुए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को 41 केंद्रीय योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) के तहत ₹ 1,946.42 करोड़ सीधे अंतरित किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 4.1** में विवर्णित है। वर्ष 2023-24 हेतु यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.04 करोड़) एवं सहायता-अनुदान (₹ 14,942.15 करोड़) का क्रमशः 4.97 प्रतिशत व 13.03 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधा अंतरण वर्ष 2022-23 की तुलना में 33.76 प्रतिशत घट गया (वर्ष 2022-23 के ₹ 2,938.36 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 1,946.42 करोड़ तक)। वर्ष 2023-24 के दौरान वे केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें सीधे अंतरित निधियां ₹ 400 करोड़ से अधिक थी, वे थीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 604.57 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 544.71 करोड़) एवं जल जीवन मिशन (₹ 402.34 करोड़)।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के अंतर्गत मात्र ₹ 5,328.69 करोड़ दर्शाए गए। ₹ 1,946.42 करोड़ की अधिकतम सीमा तक राज्य सरकार के बजट व व्यय को अनुबंधित करने के अतिरिक्त जनता के लिए सृजित परिसंपत्तियां व व्यय राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं थे, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 से संबंधित नियम 157 में निर्धारित है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं अथवा संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों की प्रयुक्ति का आश्वासन न मिलने का परिचायक है एवं लेखाओं में दर्शाए गए उस सीमा तक के व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2024 तक ₹ 2,795.23 करोड़ राशि के कुल 2,990 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (**परिशिष्ट 4.2**)। इनमें से ₹ 1,050.63 करोड़ के अनुदान के 1,648 उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 2017-22 की अवधि से संबंधित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया **तालिका 4.2** व **तालिका 4.3** में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.2: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2021-22 तक	2,260	1,688.92	1,400	1,208.67	860	480.25
2022-23	1,846	2,553.59	1,058	1,983.21	788	570.38
2023-24	18,804	5,846.94	17,462	4,102.34	1,342	1,744.60
योग	22,910	10,089.45	19,920	7,294.22	2,990 [#]	2,795.23 [#]

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

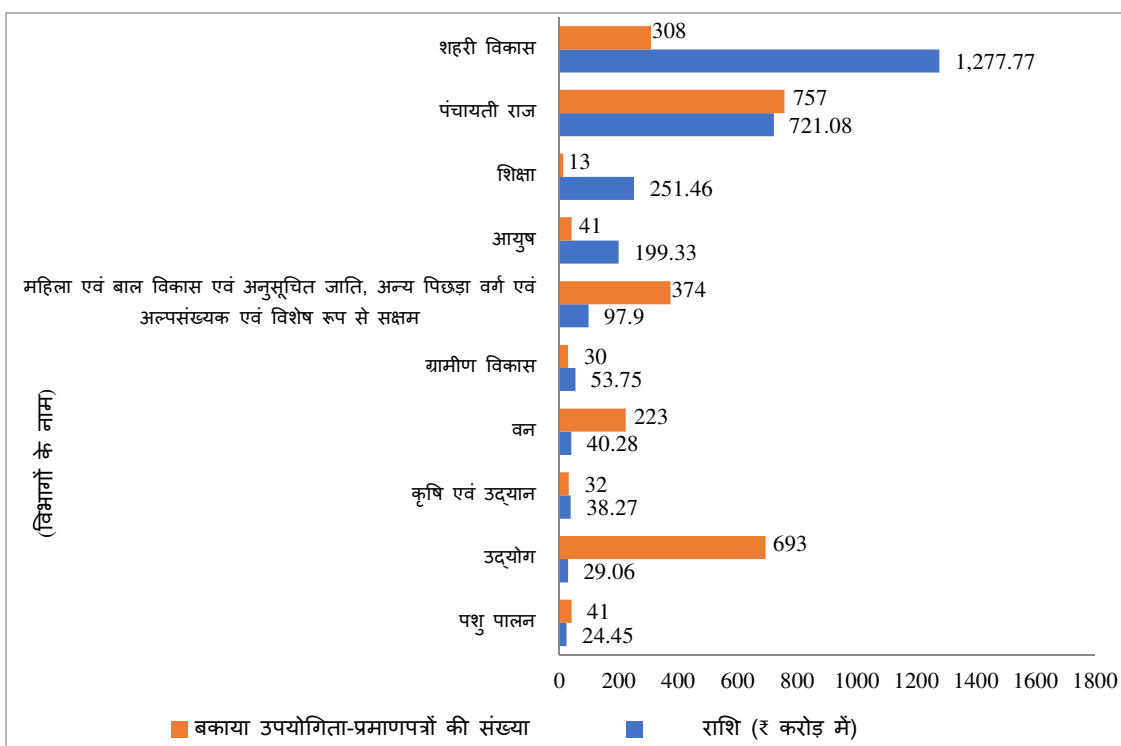
टिप्पणी: *2022-23 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र केवल 2023-24 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।

[#] इसमें केंद्र प्रायोजित योजना के सहायता-अनुदान के 128 वाउचर शामिल हैं, जिनकी कुल राशि ₹579.47 करोड़ है।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	102	50.88
2018-19	147	66.84
2019-20	199	75.08
2020-21	412	287.45
2021-22	788	570.38
2022-23	1,342	1,744.60
योग	2,990	2,795.23

चार्ट 4.1: 31 मार्च 2024 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र



चार्ट 4.1 से प्रमाणित होता है कि ₹ 2,733.35 करोड़ राशि के 2,512 उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थात् कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (₹ 2,795.23 करोड़) का 97.79 प्रतिशत 10 विभागों से सम्बंधित हैं, जिसमें से ₹ 2,547.54 करोड़ राशि के 1,493 उपयोगिता प्रमाणपत्र पांच विभागों, यथा - शहरी विकास (45.71 प्रतिशत, ₹ 1,277.77 करोड़), पंचायती राज (25.80 प्रतिशत, ₹ 721.08 करोड़), शिक्षा (9 प्रतिशत, ₹ 251.46 करोड़, आयुष (7.13 प्रतिशत, ₹ 199.33 करोड़) तथा महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष रूप से सक्षम (3.50 प्रतिशत, ₹ 97.90 करोड़) से संबंधित हैं।

उपरोक्त में से वर्ष 2023-24 के दौरान दो प्रमुख विभागों यथा शहरी विकास (308 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 1,277.77 करोड़), एवं पंचायती राज (757 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 721.08 करोड़) के निम्नलिखित संख्या में उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को ठोस (भौतिक) लेखापरीक्षा/ नमूना-जांच हेतु चुना गया:

- (i) शहरी विकास (142 उपयोगिता प्रमाणपत्र - ₹ 1,078.16 करोड़),
- (ii) पंचायती राज (135 उपयोगिता प्रमाणपत्र - ₹ 41.64 करोड़),

नमूना-जांच हेतु चयनित ₹ 1,119.80 करोड़ मूल्य के 277 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के दौरान, ₹ 152.43 करोड़ मूल्य के 39 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सहायक दस्तावेजों (अर्थात् सह-वाउचर, बिल व स्वीकृति आदेश आदि) के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से निपटान किया गया। ₹ 967.37 करोड़ के शेष 238 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का भी आंशिक/पूर्ण उपयोग/निपटन किया गया परन्तु विभाग के पास सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अनुदेयी (कार्यान्वयन/ निष्पादन एजेंसी) कार्य पूर्ण होने पर उपयोग की गई अधिकतम राशि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र विभागाध्यक्षों को भेजते हैं। हालांकि विभागाध्यक्ष स्तर पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं अनुदेयी द्वारा उपयोग की गई राशि का स्वीकृत अनुदान के साथ मिलान/सह-संबंधन नहीं किया रहा है। इसका कारण भी विभिन्न स्तरों पर अनुदानों की स्थिति का मिलान एवं निगरानी का अभाव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उपरोक्त विभागों के अभिलेखों की भौतिक/नमूना-जांच से निम्नलिखित बिन्दु भी प्रकट हुए:

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को भेजा जाए। अतः इन मामलों में विभागाध्यक्षों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप लेखाओं में ये उपयोगिता-प्रमाणपत्र बकाया के रूप में प्रदर्शित हुए।
- स्वीकृतियां इस हद तक अपूर्ण पाई गई कि अधिकांश स्वीकृतियों में (i) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता, (ii) अनुदान आवर्ती है या

गैर-आवर्ती, (iii) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था या नहीं, इसका उल्लेख नहीं था;

- अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) को दिए गए कुल अनुदान एवं विभाग को प्राप्त आंशिक रूप से उपयोग किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मध्य मिलान/सह-संबंधन का अभाव पाया गया। जिसका कारण सहायक दस्तावेजों के बिना आंशिक अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण था।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समयबद्ध ढंग से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए तथा उसका मिलान कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से किया जाना चाहिए।

4.4 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से धन का आहरण करने का अधिकार होता है। उक्त नियम के नियम 187 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी से उसी वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक बिल विलम्ब से जमा करने या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता व शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

यह पाया गया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5.93 करोड़ राशि के कुल 368 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ (0.67 प्रतिशत) राशि के 31 सार आकस्मिक बिल मार्च 2024 में आहरित किए गए। मुख्य शीर्ष-2851 (ग्राम एवं लघु उद्योग) से संबंधित ₹ 0.12 करोड़ की राशि का एक सार आकस्मिक बिल 31 दिसंबर 2024 तक समायोजन/ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने हेतु अभी भी लंबित है।

4.5 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अस्पष्ट बनाते हैं। इस बहुउद्देशीय लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं व व्यय की गुणवत्ता के सटीक विश्लेषण को विकृत करता है।

पाया गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किया गया व्यय ₹ 654.61 करोड़ (28 मुख्य लेखा शीर्षों में) से घटकर ₹ 530.09 करोड़

(19 मुख्य लेखा शीर्षों में) हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹ 50,361.42 करोड़ के कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय का 1.05 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के दौरान 1.30 प्रतिशत) था। इसमें से उल्लेखनीय व्यय (20 प्रतिशत और उससे अधिक) 05 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया (परिशिष्ट 4.3)। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 75 प्रतिशत बुकिंग निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 92.37 करोड़), मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (₹ 97.58 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष-2801-विद्युत (₹ 207.23 करोड़) में की गई।

हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान 47 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,277.32 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,425.22 करोड़ हो गई। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.05 करोड़) का 6.19 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के दौरान 5.98 प्रतिशत) था। इन 47 मुख्य शीर्षों में से 32 मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्राप्तियां (20 प्रतिशत व अधिक) बुक की गई (परिशिष्ट 4.4)। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 86 प्रतिशत राशि निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों- मुख्य शीर्ष-0071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का अंशदान व वसूली (₹ 150.88 करोड़), मुख्य शीर्ष-0045-माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क (₹ 274.95 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष-0801-विद्युत (₹ 1,667.36 करोड़) के अंतर्गत बुक की गई। ऐसी बुकिंग में अकेले विद्युत का भाग 69 प्रतिशत रहा।

माप से संबंधित मुद्दे

4.6 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षों हेतु उल्लेखनीय उचंत मर्दे सकल डेबिट व क्रेडिट शेष के रूप में तालिका 4.4 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.4: उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2021-22		2022-23		2023-24	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	उचंत लेखा						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	133.69	87.07	138.84	82.14	55.47	2.54
	निवल डेबिट/क्रेडिट	46.62 डेबिट		56.70 डेबिट		52.93 डेबिट	
102	उचंत लेखा (सिविल)	767.15	271.88	373.26	338.42	49.79	3.53
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	495.27 डेबिट		34.84 डेबिट		46.27 डेबिट	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	00.05	00.00	00.05	00.00	00.05	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	00.05 डेबिट		00.05 डेबिट		00.05 डेबिट	

लेखा शीर्ष		2021-22		2022-23		2023-24	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
110	रिज़र्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	26.53	00.00	27.32	00.00	5.73	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	26.53 डेबिट		27.32 डेबिट		5.73 डेबिट	
112	स्रोत पर कर कटौती उचंत	00.03	41.60	00.00	81.72	00.00	42.22
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	41.57 क्रेडिट		81.72 क्रेडिट		42.22 क्रेडिट	
123	ए.आई.एस अधिकारी समूह बीमा योजना	00.81	00.03	00.84	00.03	00.79	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	00.78 डेबिट		00.81 डेबिट		00.79 डेबिट	
129	सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	00.00	234.90	00.00	263.05	00.00	328.95
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	234.90 क्रेडिट		263.05 क्रेडिट		328.95 क्रेडिट	
8782	एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन						
102	लोक लेखा प्रेषण	00.00	637.47	00.00	477.98	0.78	606.09
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	637.47 क्रेडिट		477.98 क्रेडिट		605.30 क्रेडिट	
103	वन प्रेषण	00.00	16.67	00.00	16.67	5.77	22.44
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	16.67 क्रेडिट		16.67 क्रेडिट		16.67 क्रेडिट	
8793	अंतर-राज्य उचंत लेखा						
101	अंतर-राज्य उचंत लेखा	00.03	00.00	00.08	00.00	00.00	00.05
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	00.03 डेबिट		00.08 डेबिट		00.05 क्रेडिट	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658-उचंत खाता के तहत लघु शीर्ष 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102 उचंत लेखा (सिविल) एवं 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा तथा 8782-नकद प्रेषण के अंतर्गत 102-लोक निर्माण-कार्य प्रेषण एवं 103-वन प्रेषण के अंतर्गत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्संस्कारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2024) गत वर्ष के ₹ 56.70 डेबिट शेष से घट कर ₹ 52.93 करोड़ हो गया।

उचंत लेखा - सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेन-देनों जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः माइनस क्रेडिट व माइनस डेबिट द्वारा इसका निपटान किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 46.27 करोड़ का बकाया डेबिट शेष था, जिसका तात्पर्य है कि

'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ विवरणों के अभाव में इसे व्यय के अंतिम शीर्ष में डेबिट नहीं किया जा सका।

सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा (लघु शीर्ष 129): 31 मार्च 2024 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 328.95 करोड़ का बकाया क्रेडिट शेष था। ऐसा मण्डलों द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त सामग्री के मूल्य के संबंध में लंबित समायोजन के कारण हुआ परन्तु इसका भुगतान अभी शेष है। इस राशि के निपटान/समायोजन पर राज्य के नकद शेष में वृद्धि होगी।

लोक निर्माण-कार्य प्रेषण (लघु शीर्ष 102): वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 605.30 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार में जमा होते हैं।

वन प्रेषण (लघु शीर्ष 103): इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.67 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार का नकद शेष घट जाएगा। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो वन मण्डल पार्टियों को जारी करते हैं।

वर्ष की समाप्ति पर इन शीर्षों (लोक लेखा) के तहत शेष भारी राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में बुक नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

4.7 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 42.44 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे ₹ 33.38 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया था। इस प्रकार ₹ 9.06 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर था, जिनका मिलान नहीं हुआ।

यह अंतर मुख्य रूप से कोषागार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ एजेंसी बैंक एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच आंकड़ों का मिलान न करने के कारण हुआ।

4.8 मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि

संहिता संबंधी प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण-कार्य मण्डलों को गैर-सरकारी एजेंसियों से निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप के तहत लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण-कार्य निक्षेप के अंतर्गत क्रेडिट करना अपेक्षित है। संबंधित निक्षेप कार्यों का व्यय भी उसी लेखा शीर्ष से किया जाता है। मण्डलों के मासिक लेखाओं में लोक निर्माण मण्डलों द्वारा ऐसे निक्षेपों की प्रेषण न की गई राशि राज्य के लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय शेष, 101-सिविल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है एवं तदोपरांत सरकारी लेखाओं का भाग बनती है।

हालांकि निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों का प्रेषण सरकारी लेखाओं में करने के बजाय वह लोक निर्माण मण्डलों द्वारा संचालित मंडलाधिकारियों के बैंक खातों में रखी जा रही है और इसीलिए यह भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य के नकद शेष का भाग नहीं बन रही है।

31 मार्च 2024 तक वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 0.16 करोड़ (डेबिट) की छोटी राशि मुख्य शीर्ष 8671 (लोक लेखा) के अंतर्गत रखी थी।

प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) से संबंधित मुद्दे

4.9 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन एवं उनमें हुई कमियों का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखा मानक	भारत सरकार लेखांकन मानक का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अभ्युक्ति
1.	भारत सरकार लेखांकन मानक -1	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - डिस्क्लोज़र आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया (वित्त लेखाओं की विवरणी 9 व 20)	क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरणी 9 में दर्शाए गए हैं, जबकि क्षेत्र-वार व वर्ग-वार ब्यौरे वित्त लेखाओं की विवरणी 20 में दर्शाए गए हैं।
2.	भारत सरकार लेखांकन मानक -2	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखाओं की विवरणी 10)	वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
3.	भारत सरकार लेखांकन मानक -3	सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	अनुपालन किया गया (वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे विवरण 7 व 18 में दिए गए हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

4.10 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 31 स्वायत्त निकायों/प्रधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 31 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं (परिशिष्ट 4.6)। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: 31 मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे लंबित हैं	लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	10
2.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2021-22	02
योग			12

स्रोत: विभागीय आंकड़े/जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों के लेखे दो एवं दस वर्षों तक बकाया थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

4.11 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के परिच्छेद 88 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत् दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी (सितम्बर, 2023) तथापि केवल पांच¹ निकायों/ प्राधिकरणों (39 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की (परिशिष्ट 4.5)।

¹ (i) हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टूट्टू, शिमला (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला (iii) डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन, हिमाचल प्रदेश (iv) हिमाचल प्रदेश पशुधन व कुक्कुट विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला-5 और (v) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ लिमिटेड (हिमफेड)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को सूचना न देना लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम, 2020 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन था।

4.12 विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए। इसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों एवं निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

पाया गया कि 30 सितंबर 2024 तक 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित) के मामले में 54 लेखे बकाया थे (परिशिष्ट 4.6), जिनमें से पांच² घाटे में चल रहे थे (उनके नवीनतम/अंतिम लेखाओं के अनुसार)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि घाटे में चल रही पांच कम्पनियों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखे बकाया होने के बावजूद विगत तीन वर्षों के दौरान उन्हें ₹ 146.48 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की गई, जैसाकि तालिका 4.7 में विवर्णित है।

तालिका 4.7: हानि उठाने वाले व्यावसायिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों को दी गई बजटीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बजटीय सहायता						कुल		सकल योग
		2021-22		2022-23		2023-24				
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड	11.00	0.58	67.35	0.58	21.50	43.47	99.85	44.63	144.48
2	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
सकल योग		13.00	0.58	67.35	0.58	21.50	43.47	101.85	44.63	146.48

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

² (i) हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (iii) श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड (iv) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, एवं (v) हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड।

बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु रूपरेखा तालिका 4.8 में दी गई है।

तालिका 4.8: बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु-रूपरेखा

वर्ष सीमा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या	बकाया लेखाओं की संख्या
0-1	5	5
1-3	8	21
3-5	3	13
>5	2	15
योग	18	54

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका 4.8 दर्शाती है कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जो निष्क्रिय कंपनियां हैं, के लेखे पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न देने से सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रह जाते हैं एवं लेखापरीक्षा संवीक्षा से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हो तो वे समय पर नहीं हो पाता। धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार एक तंत्र विकसित करें एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उनके अद्यतन लेखे (अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष के) पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें।

अन्य मुद्दे

4.13 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 23 व 24 में प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी चल व अचल संपत्ति, जैसा भी मामला हो, की हानि के कारण की विस्तृत जांच करेगा तथा विस्तृत जांच पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। नियम 145(5) में निर्धारित है कि यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल खराब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

31 मार्च 2023 तक ₹ 49.56 लाख से जुड़े दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के 30 मामले पाए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान इनमें से लोक निर्माण विभाग से संबंधित ₹ 11.17 लाख राशि के 15 मामलों का समायोजन/निपटान किया गया। वर्ष के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि 31 मार्च 2024 तक ₹ 38.39 लाख से अंतर्गस्त 15 मामले अभी भी लंबित थे। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	3	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	6	5.36
भू-राजस्व	1	0.91	वसूली या बड़े खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	1	0.91
बागवानी	3	2.89			
पुलिस	1	0.08	न्यायालयों में लंबित	3	25.43
नगर निगम, चम्बा	1	0.42			
गृह रक्षक	2	25.37			
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	1	0.95			
वन	3	4.82	वसूली की गई/बड़े खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	4	6.27
			अन्य	1	0.42
योग	15	38.39	योग	15	38.39

स्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करें।

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा एवं सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या तालिका 4.10 में सारांशित की गई है।

तालिका 4.10: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष सीमा	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	0	0.00	चोरी के मामले	3	1.13
5-10	3	4.81			
10-15	5	4.81	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	12	37.26
15-20	7	28.77			
योग	15	38.39	योग	15	38.39

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के कुल 15 मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुरुपयोग/हानि से संबंधित हैं एवं शेष 20 प्रतिशत चोरी के मामले थे। इन 15 मामलों में से 40 प्रतिशत (छः मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने एवं आपराधिक जांच में

विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि सभी 15 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें से सात ऐसे मामले भी शामिल थे, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे।

सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.14 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश राज्य में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (सुओ-मोटो नोट्स) संबंधित (लाइन) विभागों से लेना अपेक्षित है। लाइन विभागों से इसकी प्रति (तीन प्रतियां) महालेखाकार को जांच हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित है ताकि यदि कोई अन्य अभ्युक्तियां हो तो उसे लोक लेखा समिति को अग्रेषित की जा सके।

वर्ष 2008-09 से हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स वर्ष 2021-22 तक प्रस्तुत किए। लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2008-09 से 2021-22 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 19.11.2024 को चर्चा की गई। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही (एक्शन टेकन) की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4.15 निष्कर्ष

₹ 2,795.23 करोड़ राशि के सहायता-अनुदान हेतु 2,990 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्ववर्ती अनुदानों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।

दो स्वायत्त निकायों एवं 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों ने काफी लम्बी अवधि तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका तथा सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रहे।

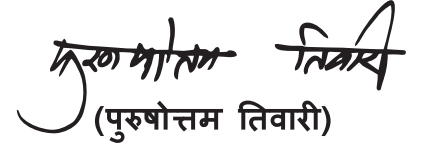
इसके अतिरिक्त चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के 15 मामलों में विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लम्बित थी।

4.16 अनुशंसाएं

1. सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
2. स्वायत्त निकायों व विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों को उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु उनके वित्तीय लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग एक तंत्र स्थापित करें।
3. सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध ढांचा बनाएं तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करें।

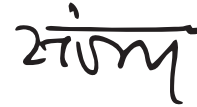
शिमला

दिनांक: 12 जून 2025


(पुरुषोत्तम तिवारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली

दिनांक: 01 जुलाई 2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

